

**राज्य/जिला स्तर के स्वायत्त निकायों/कार्यान्वयनकारी अभिकरणों
को केन्द्रीय आयोजना सहायता का प्रत्यक्ष अंतरण**

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग/संगठन	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2007-2008	ब.अ. 2008-09	सं.अ. 2008-2009	ब.अ. 2009-10
1.	कृषि मंत्रालय		2420.49	2980.95	3082.65	3067.24
	कृषि और सहकारिता विभाग		2194.67	2724.00	2799.50	2832.55
	(i) बीजों के उत्पादन तथा वितरण के लिए बीज संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास तथा सुदृढीकरण	2401	311.00	64.00	390.00	250.00
	(ii) राष्ट्रीय जैव खेती संवर्धन परियोजना	2401	0.00	1.00	0.00	0.00
	(iii) राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता	2401	146.59	256.00	177.50	257.00
	(iv) कृषि संबंधी आर्थिक नीति तथा विकास हेतु निविष्टि अध्ययन	2401	27.52	22.00	22.00	25.55
	(v) राष्ट्रीय बागवानी मिशन	2401	919.16	1100.00	1000.00	1100.00
	(vi) लघु सिंचाई	2401	409.40	500.00	430.00	400.00
	(vii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	2401	381.00	780.00	780.00	800.00
	(viii) कपास प्रौद्योगिकी मिशन	2401	0.00	1.00	0.00	0.00
	पशुपालन, डेरी तथा मत्स्यपालन विभाग		225.82	256.95	283.15	234.69
	(i) राष्ट्रीय पशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना	2403	40.99	52.52	80.52	88.80
		2552	8.49	7.80	9.00	10.00
	(ii) पशु बीमा	2403	16.00	14.00	6.60	27.50
		2552	0.00	2.00	1.90	2.50
	(iii) आत्महत्या सम्भावित 31 जिलों के लिए विशेष पैकेज	2403	122.48	145.48	145.48	68.00
		2404	4.00	3.76	3.76	2.00
	(iv) सहकारी समितियों को सहायता	2404	5.05	6.55	8.55	8.00
		2552	0.00	0.45	0.45	1.00
	(v) एकीकृत डेरी विकास परियोजना	2404	24.16	19.89	22.39	22.39
		2552	4.65	4.50	4.50	4.50
2.	पर्यावरण तथा वन मंत्रालय		392.93	345.62	290.62	290.62
	राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	2406	392.93	345.62	290.62	290.62
3.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		6642.95	6788.75	7586.41	7076.50
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग		6454.90	6538.75	7388.07	6848.50
	(i) राष्ट्रीय वेक्टर वाही रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2210	105.10	167.91	92.55	114.75
	(ii) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	2210	13.85	28.98	28.98	29.50
	(iii) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	2210	248.50	225.00	247.21	247.25
	(iv) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	2210	389.19	452.00	442.68	448.42
	(v) राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम	2210	136.61	217.00	209.97	214.30
	(vi) राष्ट्रीय एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम	2210	40.67	23.00	7.75	12.35
	(vii) राज्य पीआईपी हेतु लचीला पूल	2211	4992.81	4808.00	5670.45	5118.47
	(viii) पल्स पोलियो टीकाकरण	2211	481.94	564.81	648.47	600.94
	(ix) सूचना, शिक्षा तथा संचार #	2211	0.00	2.04	0.00	0.00
	(x) क्षेत्र परियोजना	2211	46.23	50.01	40.01	62.52
	आयुष विभाग		188.05	250.00	198.34	228.00
	(i) आयुष संस्थाओं/कालेजों का विकास तथा उन्नयन	2210	43.37	65.00	36.71	45.00
	(ii) आयुष अस्पतालों से सम्बन्धित योजना	2210	94.55	60.00	85.00	85.00
	(iii) आयुष औषधालयों से सम्बन्धित योजना	2210	34.23	60.00	55.00	55.00
	(iv) एएसयूएण्डएच दवाओं का गुणवत्ता नियंत्रण	2210	15.90	30.00	10.00	10.00
	(v) विशिष्ट चिकित्सालयों/आईपीडी की स्थापना हेतु सरकारी-निजी भागीदारी	2210	0.00	5.00	0.05	3.00
	(vi) राष्ट्रीय चिकित्सीय पौध मिशन	2210	0.00	30.00	11.58	30.00
4.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		11760.47	14052.22	12078.98	13525.37
	स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग					
	(i) महिला समाख्या (ईएपी)	2202	33.78	38.00	38.00	38.00
	(ii) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (ईएपी)	2202	97.82	50.00	10.00	0.01
	(iii) सर्व शिक्षा अभियान	2202	11480.76	10948.98	11939.98	11933.90

**राज्य/जिला स्तर के स्वायत्त निकायों/कार्यान्वयनकारी अभिकरणों
को केन्द्रीय आयोगना सहायता का प्रत्यक्ष अंतरण**

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग/संगठन	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2007-2008	ब.अ. 2008-09	सं.अ. 2008-2009	ब.अ. 2009-10
(iv)	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (200 केजीबीवी आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों/बालिका छात्रावासों का उन्नयन)	2202	0.00	71.98	1.00	0.00
(v)	35+ आयु वर्ग के लिए साक्षरता अभियान और आपरेशन पुनर्स्थापन साक्षरता कार्यक्रम	2202	0.00	14.98	0.00	0.00
(vi)	सरकारी स्थानीय निकाय के स्कूलों में पूर्व-प्राइमरी विद्यालयों को सहायता	2202	0.00	89.98	0.00	0.00
(vii)	पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजना/योजनाओं के लिए एक-मुश्त प्रावधान	2552	0.00	2521.20	0.00	0.00
(viii)	प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास	2202	148.11	317.10	90.00	283.50
(ix)	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	2202	0.00	0.00	0.00	983.46
(x)	उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 मॉडल विद्यालयों की स्थापना स्कीम	2202	0.00	0.00	0.00	282.00
(xi)	विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण और संचालन की योजना	2202	0.00	0.00	0.00	4.50
5.	महिला तथा बाल विकास विभाग		0.00	23.00	0.00	0.00
	प्रियदर्शिनी योजना	2235	0.00	23.00	0.00	0.00
6.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय @		104.86	138.00	138.50	167.00
(i)	ऊर्जा के अन्य स्रोत/लघु पन बिजली	2810	28.96	55.00	61.50	69.00
		2552	19.99	20.00	20.00	35.00
(ii)	राष्ट्रीय बॉयोगैस खाद प्रबंधन कार्यक्रम	2810	55.91	63.00	57.00	63.00
7.	ग्रामीण विकास मंत्रालय		32812.36	32544.11	61547.59	54397.32
	ग्रामीण विकास विभाग		28669.38	27604.29	56710.34	49114.74
(i)	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)	2505	3675.57	0.00	6750.00	0.00
		2552	0.00	0.00	750.00	0.00
(ii)	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस)	2505	12661.22	14339.60	30000.19	30038.70
		2552	0.00	1600.00	0.00	0.00
(iii)	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)	2501	1697.06	1898.65	2113.00	2086.54
		2552	0.00	217.00	237.00	235.00
(iv)	डीआरडीए प्रशासन	2515	250.00	225.00	225.00	225.00
		2552	0.00	25.00	25.00	25.00
(v)	इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई)	2216	3885.53	4853.20	7919.00	7914.70
		2552	0.00	541.00	881.00	880.00
(vi)	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	3054	6500.00	3419.84	7225.15	6814.80
		2552	—	455.00	555.00	865.00
(vii)	ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पीयूआरए)	2515	0.00	27.00	27.00	27.00
		2552	0.00	3.00	3.00	3.00
	भू-संसाधन विभाग		1164.44	1650.00	1515.00	1981.00
(i)	समेकित बंजरभूमि प्रबंध कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	2501	1046.99	1500.00	1365.00	1782.90
		2552	117.45	150.00	150.00	198.10
	पेयजल आपूर्ति विभाग		2978.54	3289.82	3322.25	3301.58
(i)	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)	2215	2023.91	2291.51	2323.95	2303.28
(ii)	ग्रामीण स्वच्छता	2215	848.63	878.31	878.30	878.30
		2552	106.00	120.00	120.00	120.00
8.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		0.00	37.50	16.00	0.00
(i)	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अवसंरचना सुविधाएं	2405	0.00	32.50	9.00	0.00
(ii)	स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता सुधार योजना	2408	0.00	5.00	7.00	0.00
9.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय		0.00	5.00	0.00	0.00
	अपने बच्चों की देख-भाल करने में असमर्थ महिलाओं को वित्तीय सहायता	2235	0.00	5.00	0.00	0.00

राज्य/जिला स्तर के स्वायत्त निकायों/कार्यान्वयनकारी अभिकरणों
को केन्द्रीय आयोजना सहायता का प्रत्यक्ष अंतरण

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग/संगठन	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2007-2008	ब.अ. 2008-09	सं.अ. 2008-2009	ब.अ. 2009-10
10	पर्यटन मंत्रालय पर्यटन विभाग होटल प्रबंधन संस्थान, पाक कला संस्थान, पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, होटल प्रबंधन एवं खान-पान प्रौद्योगिकी परिषद		53.00	58.00	58.00	102.00
11	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय + (i) भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ii) कम्प्यूटर सेवाएं (iii) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (iv) कार्यक्रम कार्यान्वयन (v) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ की स्कीमों के लिए एक मुश्त प्रावधान (vi) केंद्र प्रायोजित एमपीएलएडीएस को केंद्रीय सहायता	3452 3454 3454 3454 3601 3602 3454 2552 2553 3454	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1684.72 22.50 2.50 39.16 16.01 1.00 3.15 12.90 1580.00 7.50	1649.62 16.88 1.53 31.03 4.76 0.03 2.99 8.50 1580.00 3.90	1705.00 22.50 1.97 52.94 14.02 11.02 3.15 12.90 1580.00 6.50
	जोड़ राजस्व भाग		54187.06	58657.87	86448.37	80331.05
	पूंजी भाग					
12.	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग निर्यात से संबंधित आधारभूत संरचना और अन्य सम्बद्ध गतिविधियों के विकास हेतु राज्यों को सहायता	5453 4552	568.96 0.00	570.00 57.00	570.00 57.00	570.00 57.00
13.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	4225 4552	20.00 0.00	20.00 1.00	20.00 1.00	20.00 0.00
14.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोटर वाहन/मशीनरी और उपकरण/मुख्य निर्माण कार्य जोड़ पूंजी भाग कुल जोड़	5475	0.00	24.28	15.38	4.00
			588.96	614.28	605.38	594.00
			54776.02	59272.15	87053.75	80925.05

+ मंत्रालय विगत वर्ष के दौरान आंकड़ों की सूचना नहीं दे सका।

@ मंत्रालय द्वारा यथासंशोधित ब.अ. 2008-09

क्रम सं. 3 (vi) पीआईपी के लिए फ्लेक्सिबल पुल सं.अ. 2008-09 और ब.अ. 2009-10